

RAMGARH NAGAR PARISHAD, RAMGARH

HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. TRN63186608012024125241

Date : 08-01-2024

Ward No : 30

Department / Section : Revenue Section
Account Description : Holding Tax & Others
Application Type : New Assessment

SAF No. : SAF804437080124013506

Property Type : Vacant Land

Owner Name Satish Chopra Kusum Chopra C/O

Address : MURAMKALA RAMGARH,

RAMGARH, RAMGARH Pin - 825101

MOB No : 9531793038

A Sum of Rs. 10883.00 (in words) Ten Thousand Eight Hundred and Eighty-Three Only

towards Holding Tax & Others vide Cash

Dated 08-01-2024 Drawn on NA Place Of The Bank.

N.B. Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear	1 / 2016-2017 To 4 / 2022-2023	5460.00
Holding Tax Current	1 / 2023-2024 To 4 / 2023-2024	1092.00
	Total	6552.00
	Rainwater Harvesting Tax	0.00
	Penalty Amount	4659.02
	Rebate on current Demand	327.60
	Adjust amount	0.00
	Amount Received	10883.00
	Advance Amount	0.00

हर वोट है जरूरी।

मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवाएं।

Every Vote matters.

Enroll Yourself as a Voter Today .



Signature of Tax Collector

Note:-

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax Amount by paying the tax before 30th June of the Financial Year.
- without prejudice to land right
- Urban Development Tax bill will not be valid as proof of ownership.
- इस संपत्ति कर का बिल स्वामित्व के साक्ष्य के लिए मान्य नहीं होगा।

For Details Please Visit : suda.jharkhand.gov.in
or Call us at 18001204781

In Collaboration With
Ritika Printech Pvt. Ltd.

RAMGARH NAGAR PARISHAD

द्वाराखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 982305140124054443

Date : 14-01-2024

प्रभासी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/शुची SATISH CHOPRA S/O RAMCHANDRA CHOPRA, KUSAM CHOPRA W/O SATISH CHOPRA,
मोहल्ला MURAMKALA RAMGARH RAMGARH
RAMGARH, 825101
9531793038, 9531793038

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 030000048000000 कार्ड सं 30 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर
वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु- निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	273.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		273.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सुची, RAMGARH NAGAR PARISHAD Website, udla.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडीका 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरक्षा लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण प्रति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय प्रति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की सखनीय जांच पढा समय निगम करता सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- RAMGARH NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/डांचों को कोई कानूनी हेसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / टखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये इलेक्ट्रिंग नंजो का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print